"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—— कार्तिक 16, शक 1936

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

आदेश

क्रमांक एफ 52-57/तीन (एक)-18/पंचा./फोयुप/2014/1773.—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 42 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम-18 एवं नियम 57(3) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा निर्देश देता है कि पंचायतों के निर्वाचकों को आम निर्वाचन एवं उप निर्वाचन में मतदान केन्द्र पर मत डालने हेतु अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी या इस निमित्त मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा :-

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता पहचान-पत्र;
2. बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक;
3. पासपोर्ट;
4. आयकर पहचान-पत्र (PAN CARD);
5. आधार कार्ड;
6. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय अथवा अन्य निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र;
7. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज;
8. मनरेगा जॉब कार्ड;
9. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड;
10. ड्रायविंग लायसेंस;
11. स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र;
12. केन्द्रीय अथवा छ. ग. राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची;
13. बार कौंशिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय-पत्र;
14. फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र;

15. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड;
16. महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र;
17. फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस.

हस्ता. /-

(आई. आर. देहारी)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.